

ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग नीति-2022

चर्चा में क्यों?

5 अप्रैल, 2023 छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे-छोटे कुटीर उद्योगों के माध्यम से ग्रामीणों को रोजगार प्रदान कर उनकी आमदनी को बढ़ाने के उद्देश्य से ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग नीति-2022 लागू की गई है।

प्रमुख बिंदु

- वदिति है कि छत्तीसगढ़ में लागू नवीन औद्योगिक नीति, सगिल वडिओ ससि्टम, कचचे माल की पर्याप्त उपलब्धता के परणिमासवरूप राज्य में औद्योगिक विकास को गतमिली है। इसी दशिा में राज्य सरकार द्वारा एक कदम और आगे बढ़ाते हुए ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग नीति-2022 लागू की गई है।
- मुख्यमंत्त्री भूपेश बघेल की पहल पर नरि्मति छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति 2019-24 नविशकों को आकर्षति करने में सफल रही है। पछिले चार वर्षों में 2218 नवीन उद्योग स्थापति हुए जनिमें 21 हज़ार 457 करोड़ रुपए से अधिक का नविश हुआ है और 40 हज़ार से अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है।
- राज्य में ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देने के तहत 600 करोड़ रुपए की लागत से 300 रूरल इंडस्ट्रीयल पार्क की स्थापना को स्वीकृति दी गई है। साथ ही 5 वर्षों के भीतर प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्रामीण औद्योगिक पार्क बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है।
- इस नीति में छोटे नविशकों को सेवा क्षेत्र में उद्यम के लिये प्रोत्साहति कथिा जा रहा है। ऐसे वकिसखंडों जनिमें पारंपरिक रूप से ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग प्रचलति है, उन्हें उच्च प्राथमकित्ता वकिसखंड के रूप में वर्गीकृत कर सामान्य से अधिक अनुदान प्रदान कथिा जा रहे हैं।
- इस नीति के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने के लिये यह आवश्यक नहीं कि इकाई ग्रामीण क्षेत्र में ही स्थापति हो। ग्रामीण क्षेत्रों की भाँति ही शहरी क्षेत्रों में अरबन इंडस्ट्रीयल पार्क की स्थापना का कार्य भी कथिा जा रहा है।
- राज्य की पारंपरिक कलाओं जैसे हैंडलूम वीवगि, मधुमकखी पालन, लाख, जड़ी बुटी संग्रहण, बेल मेटल, ढोकरा शलिप, बाँस शलिप, गोबर एवं गौ मूत्र से बने उत्पाद, वनोपज से बने उत्पाद, अगरबत्ती, मोमबत्ती नरि्माण, सलाई, बुनाई इत्यादि को उच्च प्राथमकित्ता एवं प्राथमकित्ता नरि्धारति कर वशिष प्रोत्साहन प्रदान कथिा जा रहे हैं।
- इस नीति के तहत महिलाओं, अनुसूचति जाति, अनुसूचति जनजाति को 10 प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन दथिा जाने का प्रावधान है। आईटीआई, पॉलिटिकनकि आदि में ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग के लिये उपयुक्त प्रौद्योगिकी तथा भवष्य के लिये उपयुक्त प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाएगी।